



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-473 राँची, गुरुवार,

23 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-104/2019-16668 (HRMS)--श्री समीर कच्छप, झा०प्र०से० (तृतीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2668, दिनांक 24.10.2019 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. श्री कच्छप द्वारा मनरेगा योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुवा प्रखण्ड के आसनतलिया पंचायत अंतर्गत ग्राम-एदलबेड़ा में रमेश तांती एवं सानो मांझी के जमीन पर कुआँ निर्माण योजनाओं के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर याचिका सं०-A .B.A No-.4008/2019- रमेश तांती बनाम झारखण्ड राज्य में इनके कार्यालय के पत्रांक-07(A) दिनांक 16.05.2019 द्वारा दोनों कुआँ को भौतिक रूप से पूर्ण प्रतिवेदित किया गया। पुनः उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक-825/जि०गा०, दिनांक 24.07.2019 के साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुवा के पत्रांक-407, दिनांक 24.07.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में दोनों कुआँ शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं होने की सूचना दी गई। उपरोक्त प्रखण्ड विकास

पदाधिकारी द्वारा समर्पित दोनों प्रतिवेदन एक-दूसरे से विरोधाभासी प्रतिवेदित कर विभाग को दिग्भ्रमित किया गया है ।

2. सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, परन्तु श्री कच्छप द्वारा इसका पालन नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-427, दिनांक 22.01.2020 द्वारा श्री कच्छप से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री कच्छप के पत्र, दिनांक 12.02.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कच्छप द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर याचिका सं०-A .B.A No-.4008/2019, रमेश तांती बनाम झारखण्ड सरकार में प्रतिशपथ पत्र दायर करने निमित्त पश्चिमी सिंहभूम जिला के आसनतलिया पंचायत अंतर्गत ग्राम-एदलबेड़ा में रमेश तांती एवं सानो मांझी के जमीन पर कुआँ निर्माण योजनाओं के संदर्भ में श्री पिंटु गुवा हेम्ब्रम, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भौतिक प्रतिवेदन तैयार कर हस्ताक्षरार्थ इनके समक्ष उपस्थापित किया गया तथा बताया गया कि मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना है। कार्य की अपरिहार्यता को देखते हुए बिना स्थल निरीक्षण किये हुए ही इन्होंने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया एवं कार्यालय के पत्रांक-07(A) दिनांक 16.05.2019 के द्वारा दोनों कुओं को भौतिक रूप से पूर्ण होने का प्रतिवेदन समर्पित किया ।

कालान्तर में इन्होंने उक्त स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया कि दोनों ही कुआँ शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं है। इस निरीक्षण के आधार पर इन्होंने संशोधित प्रतिवेदन पत्रांक-407, दिनांक 24.07.2019 द्वारा उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम को समर्पित किया ।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के लापरवाह कार्यशैली के कारण उनके पत्रांक-12(A) दिनांक 18.07.2019 एवं पत्रांक-405, दिनांक 23.07.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। भ्रामक प्रतिवेदन तैयार करने के कारण पत्रांक-412 दिनांक 25.07.2019 द्वारा श्री हेम्ब्रम को स्पष्टीकरण पूछते हुए उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। साथ ही उनसे कार्यालय के पत्रांक-410, दिनांक 25.07.2019 द्वारा श्री हेम्ब्रम का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का अनुरोध किया गया है। उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा भी उनके पत्रांक-848/जि०ग्रा०, दिनांक 26.07.2019 द्वारा श्री हेम्ब्रम को स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कच्छप विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं कि कार्यालय के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया के तहत अपने अधीनस्थ पर विश्वास करते हुए इन्होंने तैयार प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया था। इसके पीछे इनकी कोई गलत मंशा नहीं थी, बल्कि न्यायालय से मामला जुड़ा होने के कारण प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के क्रम में चूक हुई है ।

2. इन्होंने सदैव अपने कर्तव्य दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। पूर्व में इन्हें किसी भी मामले में दण्डित नहीं किया गया है और प्रासंगिक आरोप के अतिरिक्त इनके विरुद्ध कोई अन्य आरोप विचाराधीन नहीं है।

श्री कच्छप के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2735, दिनांक 08.06.2020 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1983, दिनांक 06.07.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रासंगिक मामले में श्री समीर कच्छप द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ पर विश्वास करते हुए गलत प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। इस प्रकार श्री कच्छप के द्वारा विरोधाभासी प्रतिवेदन समर्पित करने के आरोप की पुष्टि होती है।

श्री कच्छप के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-6086, दिनांक 25.11.2020 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-626, दिनांक 22.02.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-626, दिनांक 22.02.2021 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का मंतव्य दिया गया। श्री कच्छप के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि इनके द्वारा मनरेगा योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुवा प्रखण्ड के आसनतलिया पंचायत अंतर्गत ग्राम-एदलबेड़ा में रमेश तांती एवं सानो मांझी के जमीन पर कुआँ निर्माण योजनाओं में गलत एवं विरोधाभासी जाँच प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को समर्पित किया गया है।

इस पर श्री कच्छप द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उक्त कुआँ निर्माण योजनाओं के संदर्भ में श्री पिंटु गुवा हेम्ब्रम, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भौतिक प्रतिवेदन तैयार कर हस्ताक्षरार्थ इनके समक्ष उपस्थापित किया गया तथा बताया गया कि मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना है। कार्य की अपरिहार्यता को देखते हुए बिना स्थल निरीक्षण किये हुए ही इन्होंने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया एवं कार्यालय के पत्रांक-07(A) दिनांक 16.05.2019 के द्वारा दोनों कुआँ को भौतिक रूप से पूर्ण होने का प्रतिवेदन समर्पित किया। कालान्तर में इन्होंने उक्त स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया कि दोनों ही कुआँ शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं है। इस निरीक्षण के आधार पर इन्होंने संशोधित प्रतिवेदन पत्रांक-407, दिनांक 24.07.2019 द्वारा उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम को समर्पित किया।

श्री समीर कच्छप द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री कच्छप द्वारा स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ पर विश्वास करते हुए गलत प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। इस प्रकार श्री कच्छप के द्वारा विरोधाभासी प्रतिवेदन समर्पित करने के आरोप की पुष्टि होती है।

श्री कच्छप के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री कच्छप के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप में वित्तीय मामला सन्निहित नहीं है बल्कि प्रशासनिक चूक से संबंधित है, जिसे उनके द्वारा स्वयं अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है।

अतएव श्री समीर कच्छप, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने में की गई लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SAMIR KACHHAP JHK/JAS/246	श्री समीर कच्छप, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने में की गई लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
